नालको NALCO

संदर्भ/Ref. : NBC/S/4.5 & 4.5(A)/2026/121
दिनांक/Dated: 23.01.2026

To, प्रबंधक/The Manager बीएसई लिमिटेड/BSE Limited, फीरोज जीजीभोय टावर्स/ Phiroj Jeejeebhoy Towers, दलाल स्ट्रीट/Dalal Street, **मुम्बई/MUMBAI- 400 001** **स्क्रिप कोड/Scrip Code: 532234**	To, प्रबंधक/The Manager अनुसूचन विभाग/Listing Department नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि., National Stock Exchange of India Ltd., एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा-कुर्ला कम्प्लेक्स, Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex, बांद्रा ईस्ट/Bandra East, **मुम्बई/MUMBAI-400 051** **प्रतीक/Symbol: NATIONALUM**

विषय/Sub: **वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अंतरिम लाभांश पर विचार करने के लिए बोर्ड बैठक की सूचना।/Notice of Board Meeting to consider 2nd Interim Dividend for FY 2025-26.**

आदरणीय महोदय/Dear Sir,

दिनांक 19.01.2026 के हमारे पत्र के क्रम में और एसईबीआई (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशंस, 2015 के विनियम 29 के अनुसार, यह सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल, अन्य बातों के अलावा, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए दूसरे अंतरिम लाभांश के भुगतान पर विचार कर सकते हैं, जो कि **शुक्रवार, 30 जनवरी, 2026** को आयोजित होने वाली अपनी बैठक में किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) पांचवें संशोधन विनियम, 2025, जो 18 नवंबर 2025 को अधिसूचित किया गया था, के अनुसार लाभांश भुगतान के लिए सममूल्य पर देय वारंट/चेक जारी करना बंद कर दिया गया है। तदनुसार, कंपनी लाभांश का भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से करेगी। किसी भी कारण से अस्वीकृत इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के बदले कोई डिमांड ड्राफ्ट जारी नहीं किया जाएगा। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे सुनिश्चित करें कि उनके बैंक खाते का विवरण उनके डीमैट खाते (इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग के लिए) और रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (भौतिक होल्डिंग के लिए) के पास अद्यतन और सत्यापित हो, ताकि लाभांश का निर्बाध इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट सुनिश्चित हो सके।

In continuation to our letter dated 19.01.2026 and pursuant to Regulation 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015**,** notice is hereby given that the **Board of Directors of the Company**, *inter alia*, may consider payment of **2nd Interim Dividend** for the Financial Year 2025–26 at its meeting scheduled to be held on **Friday, the 30th January, 2026**.

Further, it is brought to the notice of shareholders that pursuant to the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Fifth Amendment Regulations, 2025, notified on 18th November 2025, issuance of Payable-at-Par Warrants/Cheques for dividend payments has been withdrawn. Accordingly, the Company will make the dividend payment only through electronic modes. No Demand Drafts will also be issued against electronic remittances rejected for any reason. Shareholders are requested to ensure that their bank account details are updated and validated in their demat account (for electronic holdings)

and with the Registrar and Transfer Agent (for physical holdings) to enable seamless electronic credit of dividends.

आपकी जानकारी और अभिलेख हेतु/This is for your information and record.

धन्यवाद/Thanking you.

भवदीय/Yours faithfully,
कृते नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
For National Aluminium Co. Ltd.

Bharat Kumar Sahu
Digitally signed by Bharat Kumar Sahu
Date: 2026.01.23 11:04:55 +05'30'

(बी. के. साहू)/(B. K. Sahu)
कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी /
Company Secretary & Compliance Officer
ACS: 9953